उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-15/2021/आडिट-1-10-3001/74/2021-3-
लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी।	अलीगढ़ मण्डल (अतिरिक्त प्रभार आगरा मण्डल)	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, आगरा।
2.	श्री योगेश वाजपेयी, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी।	वाराणसी मण्डल (अतिरिक्त प्रभार आजमगढ़ मण्डल)	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वाराणसी।

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारियों को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-15/2021/आडिट-1-10-3001/74/2021-3-तद्दिनांक।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।